छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 41, 42, 210 एवं 442/2009

1. श्री विपिन बिहारी अग्रवाल, — अपीलार्थी
   हाईस्कूल के पास, पलारी
   तहसील—पलारी, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, — प्रति अपीलार्थी
   कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, पलारी,
   जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 31 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विपिन बिहारी अग्रवाल द्वारा अपील प्रकरण कमांक—41/2009, 42/2009, 210/2009 तथा 442/2009 में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पलारी के समक्ष कमशः दिनांक 07.08.2008, 06.08.2008, 10.10..2008 तथा 22.11.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदनों पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत, रायपुर के समक्ष कमशः दिनांक 15.09.2008, 15.09.2008, 17.11.2008 तथा 07.01.2009 को प्रथम अपीलें प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपीलों का निराकरण समयावधि में नहीं करने और जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष कमशः दिनांक 17.11.2008, 17.11.2008, 07.01.2009 तथा 13.03.2009 को यह द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई। उपरोक्त चारों अपीलों में चूंकि पक्षकार एक ही है तथा केवल विभिन्न विषयों पर ग्राम पंचायत—दतान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग—अलग आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं और अलग—अलग अपीलें प्रस्तुत की गई है तथा तर्क भी समान ही प्रस्तुत किये गये हैं, अतः इन चारों अपील प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किया जा रहा है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अधिकांश जानकारी ऐसी है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो सकती है और वे बाद में ग्राम पंचायत से बुलाकर ही जनपद पंचायत द्वारा दी गई है, अतः इस संबंध में अपीलार्थी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में जानकारी जिस कार्यालय में उपलब्ध हो और जिस कार्यालय से संबंधित हो, वही उन्हें सूचना का आवेदन लगाना चाहिए, ताकि अनावश्यक हस्तांतरण न करना पड़े। इन चारों अपील प्रकरणों में अधिकांश जानकारी बाद में दी जा चुकी है और आयोग द्वारा भी बीच में निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी को समस्त जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और उसके बाद जो शेष जानकारी हो, वह उन्हें निःशुल्क दी जावे, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी श्री आर.के. वर्मा, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी के मध्य परस्पर विवाद होता रहा, जिससे न तो निरीक्षण ही किया गया और केवल पत्र छोड़कर अपीलार्थी चले गये, इसके कारण आयोग के निर्देश का पालन नहीं हो पाया। प्रकरण में जिला पंचायत द्वारा भी राशन कार्ड के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी देने के निर्देश दिनांक 06.06.2009 को दिये गये थे, किन्तु उनका भी पालन उनके द्वारा नहीं किया गया है। एक प्रकरण में पंचायत से संबंधित रिकार्ड थाने में जब्त होना बताया गया जो बाद में थाने से प्राप्त कर जानकारी दी गई है। इस संबंध में अपीलार्थी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रकरण कमांक—442/2009 में पेंशन के आहरण के संबंध में जो जानकारी बाद में उन्हें दी गई है, उसमें विरोधाभाष भी है और ओवर राईटिंग भी की गई है, जिससे वह गलत एवं कूटरचित प्रतीत होती है तथा सभी फर्जी होना प्रतीत होता है और श्री आर0के0 वर्मा, सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा श्री प्रभूराम वर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत के सहयोग से फर्जी जानकारी तैयार कर प्रदान की गई है, यह एक गंभीर आरोप है। अतः इन चारों अपील प्रकरणों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत—पलारी, सचिव, ग्राम पंचायत तथा अपीलार्थी को समस्त रिकार्ड के साथ अपने समक्ष बुलावें तथा जो भी जानकारी शेष रही हो, उसका उन्हें निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर बाद में उनसे सूची लेकर राशि 100/— रुपये तक की जानकारी उन्हें निःशुल्क

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रदान की जावे तथा अधिक की चाहने पर नियमानुसार शुल्क जमा कराकर प्रदान की जावे। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–रायपुर को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि पेंशन के संबंध में जो जानकारी दी गई है, उसको अन्य सभी संबंधित रिकार्ड से वे अपने स्तर पर जॉच करें, यदि वह जानकारी फर्जी एवं कूटरचित सिद्ध होती है तो श्री आर0के0 वर्मा, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा श्री प्रभूराम वर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत के विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है। इसके साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम पंचायत–दतान के समस्त निर्माण कार्यों तथा लेखा का विशेष लेखा परीक्षण भी उनके द्वारा कराया जावे और यदि वहॉ के लेखा एवं निर्माण कार्यों में कोई गड़बड़ी या त्रुटि पाई जाती है तो उसके संबंध में नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से प्रत्येक प्रकरण में 200/– रूपये की दर से चारों अपील प्रकरण में कुल राशि 800/– रूपये अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त चारों अपीलें स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com